

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पिठासीन अधिकारी:- मनसुख राम डागोर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 07/2018 (वाद)

दायर दिनांक - 11/01/2018

निर्णय दिनांक - 21/01/2021

अनवान

1. पवन कुंवर पत्नि देवेन्द्रसिंह राजपूत निवासी शिवगंज जिला सिरौही
2. संध्या कुंवर पत्नि शंकरसिंह राजपूत निवासी उदयपुर जिला उदयपुर

वादीगण

बनाम


1. माधुसिंह पिता किशनसिंह रावणा राजपूत निवासी सादडी तहसील रेलमगरा
2. मांगुसिंह पिता किशनसिंह रावणा राजपूत निवासी सादडी तहसील रेलमगरा
3. लक्ष्मणसिंह पिता किशनसिंह रावणा राजपूत निवासी सादडी तहसील रेलमगरा
4. रोशनसिंह पिता किशनसिंह रावणा राजपूत निवासी सादडी तहसील रेलमगरा
5. रतन कुंवर पिता किशनसिंह रावणा राजपूत निवासी सादडी तहसील रेलमगरा
6. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण विकास बैंक रेलमगरा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन

:: निर्णय ::


वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम सादडी पटवार हल्का सादडी में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 1452, 1453, 2581/1452 कुल कित्ता 03 कुल रकबा 2-8733 हैक्टेयर भूमि स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

  
सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा (है0में)	लगान
1.	पवन कुंवर पत्नि देवेन्द्रसिंह 1/4 राजपूत सा. शिवगंज, सिरौही, संध्या कुंवर पत्नि शंकरसिंह 3/4 राजपूत सा. उदयपुर	1452 मीन	1-3759	2-54
	योग :-	किता-01	1-3759	2-54
2.	माधुसिंह पिता किशनसिंह 1/5, मांगुसिंह पिता किशनसिंह 1/5, लक्ष्मणसिंह पिता किशनसिंह 1/5 रोशनसिंह पिता किशनसिंह 1/5 रतन कुंवर पिता किशनसिंह 1/5 दरोगा सा.देह खातेदार, रहन RMGB शाखा रेलमगरा हिस्सा मांगुसिंह का 1/5 हिस्सा	1453 2581/1452 मी. 1452/2	0-5342 0-6233 0-2185	6-60 7-70 0-40
	योग :-	किता-03	1-3760	14-70

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। रहन यथावत रखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (मनसुख राम डामोर)  
 सहायक कलक्टर  
 स.ह. (उपखण्ड-अधिकारी) र  
 (उपखण्ड-रेलमगरा अधिकारी)  
 रेलमगरा